



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238779
CG-DL-E-14092022-238779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4093]
No. 4093]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

का. आ. 4274(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 516इ के कि.मी. 248.916 से कि.मी. 262.260 पड़ेर बाईपास तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 516इ के (पड़ेर बाईपास सेक्शन) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब कलेक्टर, पड़ेर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH516E के	आंध्र प्रदेश	अल्लुरी सीतारामा राजू	हुकुम्पेता	1 मुलिआपुट्टूर

		कि.मी. 248.916 से 262.26 तक			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

[फा. सं. MoRTH/PIU/VSKP/PaderuBypass]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th September, 2022

S. O. 4274(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to State, Districts, Taluk and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of Paderu bypass of 2 lane with paved shoulder configuration on NH-516E from Km. 248.916 to Km. 262.260 in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-516E (Paderu Bypass Section) in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Collector, Paderu	248.916 KM. To 262.26 KM.	ANDHRA PRADESH	Alluri Sitharama Raju	Hukumpeta	1 Muliaputtu

[F. No. MoRTH/PIU/VSKP/PaderuBypass]

RAJESH GUPTA, Director